भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *323**

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

3 चैत्र, 1947 (शक)

## खेल अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन

**†*323. श्री नवीन जिंदल :**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन योजना की शुरुआत से लेकर इसके अंतर्गत सृजन या उन्नयन के लिए प्रारंभ की गई खेल अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्रगति की स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए आवंटित, संवितरित, संस्वीकृत एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज, जनजातीय एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) सरकार द्वारा खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के अंतर्गत परियोजना को शीघ्र पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण या प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार विशिष्ट खेलों के लिए विशेष अवसंरचना या उच्च प्रदर्शन वाले खिलाडियों के लिए प्रशिक्षण अकादमियां बनाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

**खेल अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन के संबंध में श्री नवीन जिंदल, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 24.03.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 323 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

(क) से (ङ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना के सृजन और उन्नयन, क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दूरदराज, जनजातीय और अल्पसेवित क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास, विशिष्ट खेलों के लिए विशेष अवसंरचना या उच्च प्रदर्शन वाले एथलीटों के लिए प्रशिक्षण अकादमियां बनाने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का सृजन और उन्नयन" घटक के तहत, यह मंत्रालय देशभर में खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसी बुनियादी खेल अवंसरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, देशभर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत अधिसूचित खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) और मान्यता प्राप्त खेल अकादमियों का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in/state-wise-khelo-india-centers पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय दूरदराज, जनजातीय और अल्पसेवित क्षेत्रों सहित देशभर में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित करता है :

(i) "खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम" स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु देशभर में निम्नलिखित खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है : -

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

खेलो इंडिया स्कीम के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीम के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा इसकी स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष है। भूमि अधिग्रहण या प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने सहित इन परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अनुदान प्राप्तकर्ता की होती है।

इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत, पटियाला और बैंगलोर में उच्च प्रदर्शन केंद्र हैं।

*****